CANCELLED. CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर केंप सागर म0प्र0

घनश्याम यादव उम्र 90 वर्ष तनय बृजलाल यादव निवासी–ग्राम पाटन,पोस्ट बिनेका,तह0 बण्डा जिला सागर म0 प्र0 ...अपीलार्थी/आवेदक

// विरूद्ध //

हरगोविंद सौर तनय देवी प्रसाद सौंर साकिन–ग्राम नयाखेड़ा पोस्ट बिनेका,तह0बण्डा जिला सागर म0 प्र0 ..अनावेदक/प्रतिअपीलार्थी

प्र.क्र. ता0पेशी

अपील/आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 35(4)म.प्र0भू.रा.संहिता 1959–

अपीलार्थी/आवेदक निम्न प्रार्थी है–

यह अपील प्रतिकूल आदेश विद्वान अपर आयुक्त महोदय सागर द्वारा अपील अंतर्गत धारा 44(2) अपील प्रकरण क्र. 09 अ/ 6 वर्ष 2013–14 पक्षकार हरगोविन्द विरूद्ध घनश्याम में पारित आदेश दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध दिनांक 26.10.2016 को प्रस्तुत की गई थीं। दिनांक 1.12.2016 को ग्राहता पर सुनकर प्रकरण दिनांक 09.01.2017 को बढ़ाया गया । प्रकरण में अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण धारा 35(2) म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 35(3) एवं धारा–5 समय अवधि अधिनियम के अंतर्गत पुनः स्थापन आवेदन समुचित कारण दर्शाकर प्रस्तुत किया गया। जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 03.04.2018 को बिना किसी कारण दर्शाकर मात्र अधिक बिलम्ब से आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का उल्लेख कर पुनःस्थापन आवेदनपत्र निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखी,व्यथित व परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

1. यह कि प्रकरण पेशी दिनांक 09.01.17 को पीठासीन अधिकारी के प्रवास पर होने के कारण बढाया गया था। अधीक्षक कार्यालय द्वारा आगामी पेशी दी गई थीं। चुकि प्रकरण में अपीलार्थी तथा उनके अधिवक्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

भाग–अ

प्र.क्र.– विविध–3313/2018/सागर/भू.रा.

घनश्याम यादव विरूद्ध हरगोविंद सौर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–01–19	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किया । आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के आदेश दिनांक 30–08–2018 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 26–04–2017 से अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई थी। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26–04–2017 के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रकरण को पुनःस्थापित किये जाने का आवेदन दिनांक 14–03–2018 को अपर आयुक्त के न्यायालय में पेश किया जिसे अपर आयुक्त ने दिनांक 03–04–2018 से आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पुनःस्थापित का आवेदन अधिक विलंब से प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किया था और अपर आयुक्त के आदेश 03–04–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2018 को संहिता की धारा 35(4) के अंतर्गत पुनः, पुर्नःस्थापन का आवेदन प्रस्तुत किया है। चूँकि उक्त धारा के प्रावधान के अनुसार पुर्नःस्थापन के आवेदन के लिये 30 दिवस का समय निर्धारित किया गया । इसी कारण अपर आयुक्त सागर ने पुनःस्थापित का आवेदन निरस्त किया	

14.1.19

था, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती। आवेदक ने इस न्यायालय में भी विलंब से आवेदन प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है।

2/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

14.01.19

(आर. के. जैन)
सदस्य